157

संख्या /XVII-3/14-07(38)/2008

प्रेषक,

डॉ0 अजय कुमार प्रद्योत,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उत्तराखण्ड देहरादून।

समाज (अल्पसंख्यक) कल्याण अनुभाग-3, देहरादूनः दिनांकः 06 फरवरी, 2014

विषयः-राज्य पोषित अल्पसंख्यक पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत निर्गत वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश संख्या-972 दिनांक 05.08.2010 के प्रस्तर-10 में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश संख्या-972 दिनांक 05.08.2010 के प्रस्तर-10 अवकमित करते हुए निम्नानुसार योजना कियान्वित करने की महामहिम राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

वर्तमान प्रस्तर-10:-	**संशोधित प्रस्तर-10:-**
"उक्त धनराशि आपके निवर्तन पर इस शर्त एवं प्रतिबन्ध के साथ रखी जा रही है कि उक्त धनराशि का व्यय इस वर्ष मात्र नवीनीकरण छात्रवृत्ति में ही किया जाये। नई छात्रवृत्तियां केवल जैन समुदाय के पात्र छात्रों के पक्ष में स्वीकृति की जाये व शेष अल्पसंख्यक समुदाय की नई छात्रवृत्तियां केन्द्र पोषित योजना से आच्छादित की जाये, आगामी शिक्षा संघ से जैन समुदाय के पात्र लाभार्थियों को छोडकर, शेष सभी अल्पसंख्यक छात्रों (जैन समुदाय के छात्रों को छोडकर) को केन्द्र पोषित योजना से आच्छादित किया जाये, जिनके लिये इस वर्ष राज्य योजना से लाभान्वित छात्रों को छात्रवृत्ति आवंटन के समय इस सत्र में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर ही आगामी सत्र में छात्रवृत्ति देय होने (केन्द्रीय योजना से) के सम्बन्ध में सूचित किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी जाय। राज्य योजना के अन्तर्गत आच्छादित होने वाले जैन समुदाय के लाभार्थियों हेतु भी आगामी सत्र से न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक के अर्हता बिन्दु को रखे जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही पूर्ण की जाय।"	राज्य पोषित अल्पसंख्यक पूर्वदशम छात्रवृत्ति वितरण की योजना से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-972 दिनांक 05.08.2010 के प्रस्तर-10 को विलोपित करते हुए उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या-1935/52-03-97-14(72)/95 दिनांक 05.11.1997 के संगत प्राविधानों को वर्ष 2013-14 से लागू किया जाता है। शासन की अधिसूचना संख्या-2756/स0क0/2003-411 स0क0/2002 दिनांक 07.10.2003 (परिशिष्ट 'ग') द्वारा उत्तराखण्ड के मूल निवासी जैन समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किये जाने के फलस्वरूप इस समुदाय के छात्र भी उक्त योजना से लाभान्वित होंगे।

2. उपरोक्त शासनादेश दिनांक 05.08.2010 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्ते यथावत लागू रहेंगी।

3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-156(P)/XXVII(3)/2013-14 दिनांक 06 फरवरी, 2014 में दिये गये निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(डॉ0 अजय कुमार प्रद्योत)
सचिव।

E:\old syst d\Budget Sahiyta 13-14

(2)

पृष्ठांकन संख्याः– 106 / XVII–3 / 14–07(38) / 2008 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमायूं उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
8. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन नि0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. राष्टीय सूचना केन्द्र उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(सुनील श्री पांथरी)
संयुक्त सचिव